मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय,भोपाल

//आदेश//

क्रमांक–एफ–20–1/2010/बी–ग्यारह

भोपाल,दिनांक 04/01/2011

प्रति,

उद्योग आयुक्त
उद्योग संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल।

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना की कंडिका क्र.14.4 में लेख है कि "औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने की नीति लागू की जाएगी।" नीति के उक्त प्रावधान के अनुक्रम में प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने हेतु "मार्गदर्शी बिन्दु" आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। इन मार्गदर्शी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों एवं आवश्यकतानुसार पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक– एफ–20–1/बी–ग्यारह

भोपाल,दिनांक.............

1. प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन,लि. भोपाल/ मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल इन्दौर,जबलपुर,रीवा, उज्जैन, प्रबंध संचालक, औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय,भोपाल

प्रदेश में स्थापित होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने हेतु मार्गदर्शी बिन्दु

1 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु निजी/शासकीय भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित होने के पश्चात् सर्वप्रथम संबंधित महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग का नाम दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगें।

2 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु विभाग को प्राप्त निजी/शासकीय भूमि के सर्वे एवं डिमार्केशन का कार्य प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश औद्योकि केन्द्र विकास निगम/औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम अथवा संबंधित महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संपन्न कराया जावेगा।

3 प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम अथवा संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा क्षेत्र का अभिन्यास (layout plan) तैयार कर उसका अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 197--3 की धारा 27 सहपठित धारा 28 के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास हेतु प्रशासकीय विभाग (वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग) सक्षम है,किन्तु वर्तमान में विभाग स्तर पर वांछित तकनीकि विशेषज्ञता न होने से अभिन्यास का अनुमोदन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से कराया जावेगा।

4 नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/औद्योगिक अधोंसंरचना विकास निगम अथवा संबंधित महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा की जावेगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा जावेगा कि औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच मार्ग,विद्युत व्यवस्था एवं जल प्रदाय की व्यंवस्था हो।

.... 2

5 उपरोक्तानुसार कार्यवाही संपन्न होने के पश्चात् प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम अथवा संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अपने क्षेत्राधिकार के औद्योगिक क्षेत्र को अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक,परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन/ म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन के माध्यम से उद्योग संचालनाय को प्रषित करेंगे।

6 उद्योग संचालनालय प्रस्ताव का परीक्षण करेगा एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग को प्रेषित करेगा।

7 मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग,प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर नवीन औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना संबंधी अधिसूचना आदेश जारी करेगा

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग